

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 271/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

बलवन्तदान बनाम कानदान व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री विक्रमसिंह भाटी

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

--:: निर्णय ::--


दिनांक – 10.12.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा गांधी नगर में खसरा सं. 883/481 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण रोद्धो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना प्रायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा गांधी नगर में खसरा संख्या 883/481 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलारा सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन